



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 8334 सन् 2026

राजीव तिवारी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदक के अधिवक्ता

: मुन्ना तिवारी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 19.06.2023 के आरोप पत्र, दिनांक 17.08.2023 के संज्ञान/समन आदेश तथा सम्पूर्ण कार्यवाही, वाद संख्या 40671 सन् 2023 (राज्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम राजीव तिवारी), जो कि अपराध संख्या 113 सन् 2023, धारा 406, 420, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- चिलुआताल, जनपद गोरखपुर से उत्पन्न है तथा माननीय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)-2, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आक्षेपित आरोप पत्र, संज्ञान/समन आदेश एवं सम्पूर्ण कार्यवाही को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 10 एससीसी 690 में प्रतिपादित विधि के अनुसार धारा 406 एवं 420 भारतीय दंड संहिता एक साथ नहीं चल सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश उद्धृत किया गया है।

“38. हमारे विचार में, शिकायत के साधारण अवलोकन से उपर्युक्त वर्णित किसी भी आवश्यक तत्व का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। हम केवल यह कहना चाहेंगे कि पुलिस तथा अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि संबंधी एक गंभीर भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से यह स्पष्ट किया जाए कि यदि शिकायतकर्ता का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित आपराधिक न्यासभंग का अपराध, जो धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, किया गया है, तो उसी सांस में यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित एवं व्याख्यायित धोखाधड़ी का अपराध, जो धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है, भी किया है।”

“41. साधारण संविदा-भंग तथा आपराधिक न्यासभंग और धोखाधड़ी के अपराध के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म है। धोखाधड़ी के मामले में, प्रेरित किए जाने के समय अभियुक्त की मंशा का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, किन्तु इसके लिए केवल बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। केवल संविदा-भंग मात्र से धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन उत्पन्न नहीं होता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् जिस समय अपराध किए जाने का कथन है, कपटपूर्ण या बेईमानी की मंशा प्रदर्शित न हो। अतः, यही मंशा इस अपराध का मूल तत्व है।”

“43. आपराधिक न्यासभंग तथा धोखाधड़ी के बीच स्पष्ट अंतर है। धोखाधड़ी के लिए असत्य या भ्रामक प्रतिनिधित्व करते समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है। जबकि आपराधिक न्यासभंग में मात्र न्यास (entrustment) का प्रमाण पर्याप्त होता है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में अभियुक्त को विधिपूर्वक संपत्ति सौंपी जाती है और वह उसे बेईमानी से हड़प लेता है, जबकि धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त किसी व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित कर उसे संपत्ति देने के लिए धोखा देता है। ऐसी स्थिति में दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते।”

“55. अब समय आ गया है कि देशभर के पुलिस अधिकारियों को विधि का समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यासभंग के अपराधों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र एवं पृथक हैं। एक ही तथ्यात्मक परिस्थिति में दोनों अपराध एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकते। वे परस्पर विरोधी हैं। भारतीय दंड संहिता (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) के ये



दोनों प्रावधान ऐसे जुड़वाँ नहीं हैं कि वे एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते।”

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिस स्थापित विधिक सिद्धांत पर भरोसा किया गया है, उसका खंडन करने में वे असमर्थ रहे।
5. चूँकि आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिक प्रश्न उठाया गया है, अतः प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।
6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, अभिलेख के अवलोकन तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के वाद में प्रतिपादित विधि के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि धारा 420 एवं 406 भारतीय दंड संहिता एक साथ नहीं चल सकती हैं, अतः दिनांक 17.08.2023 का संज्ञान/समन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) दिनांक 23.08.2024 को पारित हुआ है तथा वर्तमान प्रकरण में संज्ञान दिनांक 17.08.2023 को लिया गया था, तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कनिष्क सिन्हा एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य [2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 443] में यह प्रतिपादित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सामान्यतः पूर्वलक्षी प्रभाव रखते हैं, जब तक कि स्वयं निर्णय में यह न कहा गया हो कि वह भावी प्रभाव से लागू होगा।
7. उपरोक्त के दृष्टिगत, दिनांक 17.08.2023 का संज्ञान/समन आदेश, जो कि वाद संख्या 40671 सन् 2023 (राज्य बनाम राजीव तिवारी), उत्पन्न अपराध संख्या 113

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सन् 2023, धारा 406, 420, 506 भारतीय दंड संहिता, थाना- चिलुआताल, जनपद गोरखपुर से संबंधित है तथा माननीय अपर सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी)-2, गोरखपुर के न्यायालय में लंबित है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। मामले को पुनः संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जाता है ताकि वह आवश्यकतानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के आलोक में संज्ञान ग्रहण करने संबंधी नवीन आदेश पारित कर सके।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से अनुमन्य किया जाता है।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 25 मार्च, 2026

सैफ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।